रजिस्ट्री सं. डी एल 3300/97 REGD. NO. D.L.—3300/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 22, 1997/चैत्र 1, 1919
No. 12] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 22, 1997/CHAITRA 1, 1919

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गये साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1996

सा.का.नि.–157––अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) के खंड 3 उपखंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श के पश्चात एतद्द्वारा अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि) नियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि) संशोधन नियमावली, 1996 कहे जा सकेंगे।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि) नियमावली, 1955 (जिसे इसके पश्चात् उक्त नियमावली के रूप में उल्लिखित किया जाएगा) के नियम 10 में उपधारा (6) के बाद धारा (क) के उपनियम (1) में, निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

"(7) टेलीविजन विडियो कैसेट रिकार्डर, विडियो कैसेट प्लेयर, वाशिंग मशीन, कुकिंग रेंज, मीजर, कम्प्यूटर, जैसी उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद के लिए"।

587 GI/97—1

12
(ii) With five years regular service in posts the scale of Rs. 2200-4000 or equivalent; OR (iii) With Seven/Eight years regular service in posts in the scale of R. 2375-3500/2000-3500 Or Equivalent; and (b) Having five years experience in administration establishment and accounts matters. The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, Deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of Central Government shall ordinarily not to exceed three yearsr the maximum age limit for appointment by transfe on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
13	14
Group 'A' Departmental Promotion Committee : (For Considering Promotion): 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman. 2. Joint Secretary, Department of Culture—Member. 3. Deputy Secretary/Director, Department of Culture—Member. 4. Director, National Library, Calcutta—Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

[No.F.10-6/94-Lib. I]

DHARAM PAL, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1997

सा०का०नि० 165.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आकाशवाणी (समूह-क पद) भर्ती नियम, 1963 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह-क पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1996 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (समूह-क पद) भर्ती नियम, 1963 की अनुसूची में :—क्रम सं० 26 के सामने, सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा से संबंधित स्तंभ 7 में "सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।"

[फा०सं० 45011/15/96-बी(ए)]

विजय शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी :

मूल नियम आकाशवाणी (समूह "क" पद) भर्ती नियम-1963 है जिसमें बाद में निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित किया गया।

अधिसूचना संख्या-12019/9/77-बी(ए) दिनांक 9-1-1991 सा०का०नि० सं० 127

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 17th February, 1997

G.S.R. 165.—In exercise of the powers conferred by the proviso to the article 309 of the Constitution, the President is hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Group-A posts) Recruitment Rules, 1963, namely :—

1. (1) The rules may be called the All India Radio (Group-A posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1996.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Group-A posts) Recruitment Rules, 1963.

Against Serial number 26, in column 7 relating to age limit for direct recruits, for the words "Relaxable for Government Servants", the (following shall be substituted, namely :—

"Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government."

[F. No. 45011/15/96-B(A)]
VIJAY SHARMA, Under Secy.

Note :—The Principal Rules called the All India Radio (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 1963 subsequently the following amendment was notified :—

Notification No. 12019/9/77-B(A), dated 09-01-1981 G.S.R. No. 127.

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 1997

सा०का०नि०. 166.—राष्ट्रपति, कदन्न विकास निदेशालय, जयपुर, में नियमित संयुक्त निदेशक श्री एस०वी० सिंह को उसी निदेशालय में 3700-125-4700-150-5000 रुपये के वेतनमान में 28 जनवरी, 1997 के पूर्वाह्न से अस्थायी स्थानापन्न क्षमता में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

[सं० 21-1/95-फसल प्रभा-III]
आर०डी० आर्य, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

New Delhi, the 24th February, 1997

G.S.R. 166.—The President is pleased to appoint Shri S.V. Singh, a regular Joint Director in the Directorate of Millets Development, Jaipur to the post of Director, in the same Directorate in the pay scale of Rs. 3700-125-4700-150-5000, in a temporary officiating capacity with effect from the forenoon of 28th January, 1997.

[No. 21-1/95-CA.III]
R. D. ARYA, Under Secy.

संस्कृति विभाग

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

नई दिल्ली, 5 मार्च, 1997

(पुरातत्व)

सा०का०नि०. 167.—प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाना चाहती है, उस धारा की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर, उस तारीख से, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा जिसको इस अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं।

केन्द्रीय सरकार, किन्हीं ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर, जो पूर्वोक्त साठ दिन की अवधि की समाप्ति से पहले उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, विचार करेगी।

आक्षेप या सुझाव, महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संस्कृति विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जनपथ, नई दिल्ली-110011 को भेजे जा सकते हैं।

प्रारूप नियम

इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन) नियम, 1997 है।

2. प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959 में,—

(i) नियम 4 में, "किसी संरक्षित संस्मारक का कोई विनिर्दिष्ट भाग", शब्दों के स्थान पर "कोई संरक्षित संस्मारक या उसका कोई विनिर्दिष्ट भाग," शब्द रखे जाएंगे,

(ii) नियम 6 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

6. प्रवेश फीस—कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 15 वर्ष से ऊपर है, नीचे वर्णित किसी संरक्षित संस्मारक या उसके किसी भाग में प्रवेश नहीं करेगा—

(क) निम्नलिखित फीस का संदाय किए बिना द्वितीय अनुसूची के भाग 1 में प्रवर्ग "क" संस्मारक के रूप में विनिर्दिष्ट,—

(i) भारत का नागरिक—10 रु० प्रति व्यक्ति,

(ii) अन्य—10 अमरीकी डालर या उसके समतुल्य प्रति व्यक्ति

(ख) निम्नलिखित फीस का संदाय किए बिना द्वितीय अनुसूची के भाग 2 में प्रवर्ग "ख" संस्मारक के रूप में विनिर्दिष्ट,

(i) भारत का नागरिक—5 रु० प्रति व्यक्ति

(ii) अन्य—5 अमरीकी डालर या उसके समतुल्य प्रति व्यक्ति